भा.कृ.अनु.प0.–केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान
सिरसा रोड, हिसार

<u>पेडों की नीलामी–सूचना</u>

भा.कृ.अनु.प0.–केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार के परिसर में खड़े/गिरे हुए सुखे पेडों की आम नीलामी दिनॉक **14.09.2021 को 11.00** बजे की जायेगी ।

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता को पेड़ो की नीलामी के लिए **10,000/–रुपये** की राशि जो निदेशक, के0भ0अनु0स0, हिसार के पक्ष में देय हो धरोहर के रूप में जमा करवाकर हिस्सा ले सकेंगे। अन्य शर्तें तथा पेड़ों का विवरण संस्थान की वैब साईट (https://cirb.icar.gov.in/) पर देखा जा सकता है।

रवि ___ 25/8/21

प्रशासनिक अधिकारी

भा0कृ0अनु0प0--केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान
सिरसा रोड़, हिसार

केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार के प्रांगण में दिनांक 14.09.2021 को की जाने वाली पेड़ों की नीलामी के लिए नियम व शर्तें:--

1. नीलामी जैसे है जंहा है के आधार पर होगी। सुखे व गिरे हुए पेड़ो की संख्या 67 है जिनकी बोली दिनांक 14.09.2021 को 11.00 बजे होगी।
2. सुखे व गिरे हुए पेड़ो के लिए धरोहर राशि 10,000/-- रूपये जो निदेशक, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार के पक्ष देय हो जमा करवा कर भाग लिया जा सकेगा। असफल बोलीदाता को (उच्चतम को छोड़ कर) नीलामी कार्यवाही पूरी हाने पर धरोहर राशि वापिस कर दी जायेगी। बिना धरोहर राशि के नीलामी में हिस्सा नही लिया जा सकेगा।
3. अधिकतम बोलीदाता को नीलामी की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करवानी होगी। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त शेष राशि 10 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। यदि इस समय सीमा के अन्दर धन राशि जमा नही कर सके तो 25 प्रतिशत जमा राशि तथा नीलामी के लिए जमा करवाई गई धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी और इन पेड़ों की नीलामी दोबारा की जायेगी तथा बोलीदाता भविष्य में एक साल तक नीलामी के लिए बोली देने का हकदार नही होगा। जब तक पूरी राशि जमा नही होगी पेड़ों को काटने नही दिया जायेगा। बकाया राशि जमा करवाने के पश्चात ही माल उठाने दिया जाएगा।

दिनांक 14.09.2021 की नीलामी का माल 30 दिन के अन्दर अन्दर सफल बोलीदाता को अपने जोखिम और कीमत पर काटकर, लादकर स्वयं के ट्रक/ट्रैक्टर--ट्राली आदि से ले जाना होगा तथा गेट पास से ही बाहर जाने दिया जायेगा। समय सीमा के बाद माल नही ले जाने दिया जायेगा।

4. बोली जिस ठेकेदार क नाम छोड़ी जायेगी, उसी को माल ले जाने दिया जायेगा तथा उसी ठेकेदार के नाम गेट पास जारी होगा, हस्ताक्षर भी उन्हें ही करने होगें।
5. सफल बोलीदाता को सभी संबंधित विभागों जैसे कि वन, रिवन्यू इत्यादि से आवश्यक इजाजत/लाईसैंस अपने खर्च पर स्वयं लेना होगा इसके लिए संस्थान की किसी प्रकार की काई जिम्मेदारी नही होगी।
6. सफल बोलीदाता को मंजूर बोली के अतिरिक्त सभी प्रकार के कर जैसे जी0एस0टी0, सैल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इन्कम टैक्स व स्थानीय टैक्स इत्यादि का विभागीय प्रचलित दरों पर संबंधित विभागों को स्वयं अतिरिक्त खर्च पर अदा करना होगा।
7. सफल बोलीदाता केवल अनुच्छेद में चिन्हित वृक्षों को ही काटेगा, अनुच्छेद में दिये वृक्षों के अतिरिक्त किसी को नुकसान होगा तो यह अनुमति रद्द कर दी जायेगी और आगे वृक्षों को नही काटने दिया जायेगा।
8. कटाई के दौरान साथ वाले वृक्ष, बिजली की तारे व भवन इत्यादि को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान को देनदार ठेकेदार होगा। नुकसान का मूल्यांकन संस्थान की समिति द्वारा किया जायेगा।
9. माल को कार्य दिवस के दौरान सुबह 9.30 बजे से सांय 5.00 बजे तक ही बाहर ले जाने की अनुमति होगी।
10. नीलामी किये गये सभी पेड़ों को कम से कम 3 फीट गहराई से जड़ों सहित निकालना होगा।
11. पेड़ों की कटाई में लगाये गये श्रमिकों का पूर्ण विवरण नाम, पता तथा कुल संख्या आदि ठेकेदार को लिखित रूप में देनी होगी। कटाई के दौरान श्रमिकों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर इसका जिम्मेदार ठेकेदार होगा। इस बारे में हर प्रकार के क्लेम , बीमा व ई0एस0आई0 इत्यादि भी ठेकेदार को भरने होगें।
12. इच्छुक ठेकेदार किसी भी कार्य दिवस के दौरान 9.30 बजे से सांय 5.00 बजे तक पेड़ों को देख सकते है और इस संदर्भ में प्रभारी भू--परिदृश्य अनुभाग से मिलें। (मोबाईल नं. 9416023634)
13. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा , हिसार जिला न्यायालय में ही होगा।
14. जिस बोली दाता को उपरोक्त शर्तें मंजूर नही होगी उसकी नीलामी स्वीकार्य नही होगी।

15. बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने के लिए पैन कार्ड व जी.एस.टी. पंजीकृत की प्रति धरोहर राशि जमा करवाने के आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
16. नीलामी में केवल वही बोलीदाता भाग ले सकेंगें जो कि जी.एस.टी. विभाग से पंजीकृत होगें।
17. निदेशक महोदय की स्वीकृति के बाद ही नीलामी पूर्ण मानी जायेगी तथा अंतिम निर्णय निदेशक, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार का ही सर्वमान्य होगा।

रविन्द्र
25/8/21
प्रशासनिक अधिकारी